

11-1-18 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष
हाजिर पीठारीत अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक... 2-1-18 को पेश हो।

27-2-18 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष
हाजिर पीठारीत अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक... 7-5-18 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उमयपक्ष
हाजिर पीठारीत अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य
में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक... को पेश हो।

14-3-18 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान
उपस्थित। मुलवाद की तहसिल वकील
उमय पक्ष से सुनी गयी है। पत्रावली
वास्तु आदेश दिनांक 14-3-18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

14-3-18 - पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित
तहसिल उमय पक्ष सुनी गयी है। प्रकरण इस प्रकार
है। पत्रावली में दिनांक 14-2-17 को राजीनामा
पेश किया जो तस्वीक होकर शामिल पत्रावली में है।
वादी ने निवेदन किया है कि विक्रित भूमि पुराना
ख. नं० 192/31। ख. नं० 12 जीपा 8 विस्वाग्राम
गणेशपुरा तहसील च्याद में अवस्थित है। जिसमें
इस भूमि के खातेदार भंवर खा पुज मामलिन खा
ने 4 किताब क्रिय पत्रों से अपना तमाम हिस्सा क्रिय
कर वास्तविक कब्जा वाद पत्र तथा राजीनामा से
वर्गित व्यक्तियों को सम्मला किया वादी के पुत्र
जकर तेली ने खातेदार भंवर खा से दिनांक
11-4-1975 को 4 जीपा 6 विस्वा भूमि का क्रिय पत्र
बनाकर कब्जा प्राप्त कर लिया था अशिया वगैरि
के कारण क्रिय पत्र 11-4-1975 रजिस्टर्ड दिनांक
16-4-1975 का अमल रिकॉर्ड में नहीं हो सका

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

मोहम्मद जफाती

बनाम हमीक

9/2017

प्रतिवादी सलमा 6 तहसीलदार फौद के प्रदा
विक्रय पत्र का अमल करवाने हेतु प्राथमिक
प्रस्तुत करने पर विक्रय सेटलमेंट के पुर्व
काबना होने तथा विक्रय पत्र प्राज के रकब
की तुलना में अधिक भूमि का होने होने के
कारण रिकॉर्ड में अमल किये जाने में दिनांक
6-10-2016 को असमर्थता जाहिर की गई इस
तथ्यों का पता प्रतिवादी स० 1 से 3 को चलने
पर 3-1-1975 में पिरासती नामान्तरण स० 551
अपने एक में खुलवा लिया और व समाज
को भोजिज बयान्तियों की समझाईस व
रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16-4-1975
की जानकारी होने पर प्रतिवादी स० 1 से 3 ने
उपस्थित न्यायालय ही राजिनामा प्रस्तुत कर
रक० न० 400 लगायत 403 रकबा 3.26 हेक्टर
में से हिस्सा 2 बीघा 1 पिरवा का वर्तमान
खाता निरस्त कर खातेदारी चाकीगण एवं
औपचारिक प्रतिवादी स० 7 से 16 के नाम
दर्ज कराने की सहमति जरिये लिखित राजि
नामा दिनांक 14-2-1975 के द्वारा प्रदान की
है। राजिनामा अखालत द्वारा तस्दीक किया
जा चुका है। चाकीगण और औपचारिक प्रति
वादी स० 7 से 16 के पुर्वज द्वारा विवादित भूमि
की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक
11-4-1975 रजिस्टर्ड दिनांक 16-4-1975
से ग्रह किया गया था चाकिगण के कब्जे
कारत की तहिक गवाह PW-1 जफाती PW-2
मोहम्मद सलीम PW-3 जाबूदीन द्वारा की
गई है। दस्तावेज प्रदेश-1 लगायत 13-A
तक प्रदेश डाले गये हैं। उक्त पत्र को

विद्वान् अपिपक्वतडाण द्वारा दावा राजीनामा के आधार पर निर्णय पारीत करने हेतु निवेदन किया है। अतः दावादीगण जरिये राजीनामा डिक्री किया जाता है। भूमि खन् न० ५००, ५०१, ५०२, ५०३ कुल किता ५ रकबा ३.२६ हेक्टर वाले ग्राम गणेशपुरा तहसील चौहजिला सीकर के सम्बन्ध में खातेदार भवर रंवा पुत्र माम दीन रंवा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक १६-५-१९७६ के आधार पर दावी एवं औपचारिक स० से १६ को हिस्सा २ की या १९ किस्वा का सम्पुन्न खातेदारी खुद कानिज काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तथा पुत्रवादी स० से ३ की खातेदारी इन्फ्रान्त हजफ करने की आज्ञा दि जाती है। इसी अनुसार डिक्री जारी है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

पत्रावली कौशल शुमार होकर नम्बर से कम है ताकगील लजलीज कारकील दफतर है।

विशेष आज्ञा दिनांक १५-३-१९ को खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

सहायक कलेक्टर (दिलीप) सीकर